न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 120 / 2022

1 नारायण सिंह पुत्र खुमानसिंह।
2 फतेहसिंह पुत्र खुमानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोहन सिंह पुत्र खुमाण सिंह जाति राजपूत निवासी नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 श्रीमती अनोप कंवर पत्नी जमनसिंह पुत्री खुमाण सिंह जाति राजपूत निवासी हाल जालपाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 बनवारी पुत्र प्रहलाद।
4 उदयभान पुत्र प्रहलाद।
5 बोदूराम पुत्र प्रहलाद।
6 मोहन पुत्र प्रहलाद समस्त जाति माली निवासीगण मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 31.10.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
प्रकरण अनुवानी नारायण सिंह बनाम मोहनसिंह
मुकदमा नम्बर 137 / 2019 अस्थायी निषेधाज्ञा
अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटएक्ट।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 121/2022

1 नारायण सिंह पुत्र खुमानसिंह।
2 फतेहसिंह पुत्र खुमानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोहन सिंह पुत्र खुमाण सिंह जाति राजपूत निवासी नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 श्रीमती अनोप कंवर पत्नी जमनसिंह पुत्री खुमाण सिंह जाति राजपूत निवासी हाल जालपाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 बनवारी पुत्र प्रहलाद।
4 उदयभान पुत्र प्रहलाद।
5 बोदूराम पुत्र प्रहलाद।
6 मोहन पुत्र प्रहलाद समस्त जाति माली निवासीगण मानपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 31.10.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
प्रकरण अनुवानी नारायण सिंह बनाम मोहनसिंह
मुकदमा नम्बर 137/2019 अस्थायी निषेधाज्ञा
अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटएक्ट।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 19-4-23

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 137/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने विवादित गत आराजी खसरा नम्बर 203,220,281,571,687,601,698,776,770,767 तन ग्राम नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के सम्बंध में दावा उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं नामान्तकरण निरस्त बाबत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहां प्रस्तुत किया व दावे के साथ आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया व कथन किया कि उपरोक्त भूमियो के खातेदार काश्तकार भूरसिंह, बालसिंह, सुजानसिंह व खुमानसिंह रहे है उपरोक्त भूमियों में से 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि का बेचान दिनांक 25.05.1966 को खातेदार सुजानसिंह से अपीलांट के पिता खुमानसिंह ने अपने स्वंय की राशि क्रय किया व बड़े पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 मोहनसिंह जो उस समय करीब 12 वर्ष का था के नाम करवा लिया अपीलांट चूंकि उस समय 5 वर्ष के थे जो आपस में सगे भाई है अपीलांट काफी छोटे होने के कारण रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में विक्रय पत्र बड़ा पुत्र होने के कारण करवा लिया जबकि खुमानसिंह ने उपरोक्त भूमियां अपने सभी पुत्रों के लिए खरीदी थी व कब्जा भी सभी भाईयों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

व पिता ने प्राप्त किया अपीलांट का ताऊ सुजानसिंह कुवारा ही फौत हो गया था जिसकी मृत्यु पर रेस्पोडेंट संख्या 1 मोहनसिंह ने बदनियति पूर्वक अपने अकेले के हक में खातेदारी करवाकर काबिज हो गया जबकि खुमानसिंह द्वारा कयशुद्वा विवादित आराजियात पर अपीलांट ही काबिज काश्त है, खुमानसिंह द्वारा उपरोक्त खरीदशुद्वा आराजी गत खसरा नम्बर 220/1 रकबा एक बीघा 13 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दिनांक 03.04.1974 को रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 के पिता प्रहलाद को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी गत खरसा नम्बर 203/1,281,698,770/2,687,601/3 कुल किता 6 कुल रकबा बीघा 14 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट नम्बर 1 मोहनसिंह के नाम रहा व कब्जा अपीलांट का रहा है बाद नवीन भू–प्रबन्ध व नवीन राजस्व ग्राम मानपुरा के सृजन उपरान्त उपरोक्त भूमियों के नये खसरा नम्बर 558, 707,718,814 कुल किता 4 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर तन ग्राम नीमोद व खसरा नम्बर 46,497,664 कुल किता 3 कुल रकबा 1.87 हैक्टेयर तन ग्राम मानपुरा बने है रेस्पोडेंट संख्या 1 ने मोहनसिंह पुत्र खुमानसिंह के स्थान पर मोहनसिंह पुत्र सुजानसिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहां आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राज.ले.रे.एक्ट में प्रकरण प्रस्तुत कर गलत आदेश प्राप्त कर लिया जबकि उपरोक्त भूमियो पर रेस्पोडेंट संख्या 1 का कोई आज भी कब्जा नही है आदि तथ्यों के अंकन के साथ दावा उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं उसके साथ आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत की जिस पर विचारण न्यायालय ने आवेदन दर्ज कर रेस्पोडेंट को तलब किया जो विचारण न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व अपना खण्डनात्मक जवाब प्रस्तुत किया व रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जवाब के साथ काउण्टर अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत की विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलांट का आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा विधि विरूद्व दावा उद्घोषणा विचाराधीन रहते अपने निर्णय दिनांक 31.10.2022 के खारिज फरमा दिया व रेस्पोडेंट संख्या 1 मोहनसिंह का आवेदन काउण्टर टी.आई. विरूद्व कानून

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह दो अपीले पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता खुमाणसिंह ने क्रय की थी किन्तु बड़ा बेटा होने के कारण पंजिकृत विक्रय पत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम करवा दिया था। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा पिता के क्रय के समय से ही चला आ रहा है। विचारण न्यायालय में मोहनसिंह द्वारा 136 का आवेदन प्रस्तुत कर खातेदारी गलत अंकित करवाई है। पक्षकारों के मध्य मूल वाद विचाराधीन है। पक्षकारों के हितो का निर्धारण मूल वाद में होना शेष है। इससे पूर्व वाद बाहुल्यता रोकने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रेस्पोडेट को पाबन्द किया जाना विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही कर अपीलांट का टी.आई. आवेदन खारिज कर एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 का आवेदन स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खुमाणसिंह के तीन पुत्र मोहन,नारायण,फतेहसिंह थे। सुजानसिंह के नाऔलाद फौत होने पर मोहन को दत्तक ग्रहण किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पासबुक नामान्तकरण संख्या 666 प्रार्थना पत्र धारा 136 के निर्णय वोटर आई.डी, आधार कार्ड नामान्तकरण 315,313,312 से रेस्पोडेंट संख्या 1 का कथन साबित है। इसके खण्डन में विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय में अपीलांट ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि पर अपीलांट के कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य नही है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने रिबटल में तर्क दिया है कि रेस्पोडेंट द्वारा गोदनामा प्रस्तुत नही किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार किये गये है। रेस्पोडेंट के विरूद्व दर्ज एफ.आई.आर. में सिविल न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है। रेस्पोडेंट द्वारा धारा 136 के आवेदन में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया है। विधिक बिन्दु तय होने तक रिकार्डेड खातेदार को भी पाबन्द किया जा सकता है। अपील स्वीकार कर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश दिये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खुमाणसिंह के तीन पुत्र मोहन,नारायण,फतेहसिंह थे। सुजानसिंह के नाऔलाद फौत होने पर मोहन को दत्तक ग्रहण किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पासबुक नामान्तकरण संख्या 666 प्रार्थना पत्र धारा 136 के निर्णय वोटर आई. डी, आधार कार्ड नामान्तकरण 315,313,312 से रेस्पोडेंट संख्या 1 का कथन साबित है। इसके खण्डन में विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय में अपीलांट ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि पर अपीलांट के कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य नही है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से रेस्पोडेंट 01 के नाम खातेदारी दर्ज होना प्रकट है जो जरिये विक्रय पत्र दर्ज हुयी है इस विक्रय पत्र व रेस्पोडेंट की वल्दियत परिवर्तन के न्यायालय आदेश को आदिनांक तक प्रार्थीगण द्वारा चुनौती नही दी गई है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19-4-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर